

मध्य प्रदेश शासन
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन
::आदेश::

भोपाल दिनांक 11/01/2022

क्रमांक एफ 4-09/2021/18-1 :: राज्य शासन एतद द्वारा राज्य नगर पालिका सेवा अंतर्गत लोक सेवा आयोग से चयनित निम्नलिखित मुख्य नगर पालिका अधिकारियों ('ख' श्रेणी) की उनके नाम के सम्मुख दर्शायी तिथि से परिवीक्षा अवधि समाप्त करता है:-

क्र.	नाम	निकाय में कार्यभार ग्रहण करने का दिनांक	परिवीक्षा अवधि पूर्ण होने का दिनांक	रिमार्क
1	सुश्री प्रियंका सिंह पटेल	21.11.2016	21.11.2019	नगर पालिका सिवनी मालवा में की गई अनियमितताओं में आदेश दिनांक 01.04.2021 द्वारा एक वर्ष की परिवीक्षा अवधि बढ़ाई जाने का दण्ड दिया गया है।
2	श्री आशीष शर्मा	23.12.2016	23.12.2018	परिवीक्षा अवधि समाप्त उपरान्त दिनांक 30.04.2019 से आरोप पत्र जारी किए गये हैं, जो परिवीक्षा अवधि के पश्चात की कार्यवाही हाने के कारण परिवीक्षा अवधि में प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से
तथा आदेशानुसार

(तरुण राठी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

भोपाल दिनांक 11/01/2022

पृष्ठा क्रमांक एफ 4-09/2021/18-1
प्रतिलिपि:-

- 01-विशेष सहायक, मान. मंत्री, नगरीय विकास एवं आवास, भोपाल।
- 02-निज सचिव, प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास।
- 03-आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
- 04-संबंधित कार्यालय-----
- 05-संबंधित मुख्य नगर पालिका अधिकारी-----
- 06-श्री नरेन्द्र भगत, वेब कांस्ट्रैक्ट मैनेजर, संचालनालय, नगरीय प्रशासन एवं विकास भोपाल।
- 07-आर्खर बुक

(तरुण राठी)

उप सचिव

मध्य प्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग